Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में कर विभाग की सहायक कमिश्नर एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार**
- **खाते एवं ऑफिस सीज करने की एवज में दलाल के माध्यम से 6 लाख 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि ली थी**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जुलाई, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रियंका शर्मा सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, सर्किल–एच, वार्ड–प्रथम, जोन–चतुर्थ, कर विभाग, जयपुर एवं दलाल वेदप्रकाश शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **6 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि दिनांक 6–7–2023 को उसकी फर्म के सर्वे के दौरान उसके खाते ऑफिस सीज करने धमकी देकर प्रियंका शर्मा सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, सर्किल–एच, वार्ड–प्रथम, जोन–चतुर्थ, कर विभाग, जयपुर द्वारा **28 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया गया तथा इसके बाद आरोपिया द्वारा दिनांक 23–7–2023 को अपने दलाल वेदप्रकाश (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **6 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत वसूल की गई है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सज्जन कुमार** द्वारा मय टीम के जयपुर में कार्यवाही करते हुये प्रियंका शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा निवासी ए–37, राजपूताना मार्ग, सत्यनगर, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, सर्किल–एच, वार्ड–प्रथम, जोन–चतुर्थ, कर विभाग, जयपुर एवं दलाल वेदप्रकाश शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा निवासी 1, तिरूपति फ्लेटस्, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर को परिवादी से **6 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेने के आरोप में बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। आरोपिया एवं दलाल से रिश्वत राशि बरामद करने के संबंध में पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।